

# राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल, जयपुर

(G-1 किसान भवन, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरा मेडि. कॉ० / 2016 / ५५८५

दिनांक: १९-१२-१६

## कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा सिविल रिट पिटीशन सं. 11460 / 2015 सुल्तान सिंह एवं बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में निर्णय दिनांक: - 19.09.2016 के द्वारा निम्न विश्वविद्यालयों को पैरा मेडिकल डिप्लोमा देने हेतु अमान्य माना गया है।

### 1. निम्न विश्वविद्यालय दिल्ली रोड जयपुर।

अतः राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल में उक्त विश्वविद्यालय के डिप्लोमा धारियों के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत समस्त पंजीयन आवेदनों एवं पूर्व में राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल में पंजीयत डिप्लोमा धारियों के पंजीयन प्रमाण पत्रों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

नोट :— माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा डीबी स्पेशल अपील (W) 1342 / 2011 निर्णय दिनांक 29. 01.21014 एवं सिविल रिट पिटीशन सं. 5953 / 2009 एवं सिविल रिट पिटीशन सं. 1036 / 2012 निर्णय दिनांक 11.04.2014 के क्रम में जिन पैरा मेडिकोज ने एक्स-रे टैक्नीशियन एवं लैब टैक्नीशियन का कोर्स एक वर्ष तकनीकी शिक्षा बोर्ड जोधपुर एवं एक वर्ष निम्न विश्वविद्यालय जयपुर कर रखा है। उन अभ्यार्थियों का डिप्लोमा पैरा मेडिकल कोर्स माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय अनुसार मान्य माना जायेगा।

रजिस्ट्रार

क्रमांक: पैरा मेडि. कॉ० / 2016 / ५५८५

दिनांक: १९-१२-१६

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
- निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
- सयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3), शासन सचिवालय जयपुर।
- अध्यक्ष, महोदय राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर।
- रजिस्ट्रार संबन्धित विवशविद्यालय।
- सम्बन्धित पैरा मेडिकोज।
- प्रभारी सर्वर रूम, राजस्थान पैरा मेडिकल कॉसिल जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार